

कार्य का नाम : जनपद देहरादून, उत्तराखण्ड, जौलीग्रान्ट हवाई अड्डे के विस्तारीकरण किये जाने हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून, उत्तराखण्ड, जौलीग्रान्ट हवाई अड्डे के विस्तारीकरण का कार्य किया जाना है। परियोजना का कार्य वन संरक्षण अधिनियम 1980 में दिये गये प्राविधानों को ध्यान में रख कर वन विभाग की सहमति से किया जायेगा एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं होगा।

ह0

प्रयोक्ता एजेन्सी


नरेश चमोली
वन संरक्षण विशेषज्ञ
पी0एम0यू0, देहरादून


उप प्रभागीय वनाधिकारी
ऋषिकेश
देहरादून वन प्रभाग देहरादून


वन क्षेत्राधिकारी
थानै रेंज
देहरादून वन प्रभाग


अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण


प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून


(K. SANTOSH KUMAR)
S.A.M.E
STATE CIVIL AVIATION
UTTARAKHAND